प्राथमिकता/समयबद्ध
अर्द्ध.प.सं. 342/168/वा.जि.यो./रा.यो.आ./2016–17
देहरादूनः दिनांक 08 मार्च, 2018

अमित सिंह नेगी
आई0ए0एस0
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

राज्य योजना आयोग
उत्तराखण्ड शासन।

प्रिय,

महोदय/महोदया,

उत्तराखण्ड क्षेत्र के नियोजित विकास एवं विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुये जनपद स्तर पर जिला योजना संरचना का अत्यधिक महत्व है। अतः आवश्यक है कि जिला योजना संरचना के कार्य को विशेष महत्ता प्रदान करते हुए जिले की आवश्यकताओं/प्रतिबद्धताओं को दृष्टिगत रखते हुये गहन परीक्षण एवं सावधानी के साथ तैयार किया जाय।

जिला योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राविधानित रू 500.00 करोड़ की धनराशि ही व्यय नहीं हो पा रही है तथा माह जनवरी, 2018 तक प्राविधानित रू0 500.00 करोड की शतप्रतिशत धनराशि पूर्व में ही स्वीकृति की जा चुकी है। उक्त स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष माह जनवरी, 2018 तक रू0 310.90 करोड़ की धनराशि ही व्यय की गयी है, जो प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय मात्र 62.18 प्रतिशत है।

राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए सम्यक विचारोपरान्त जिला योजना 2018–19 हेतु रू0 550.00 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। जनपदवार फॉट परिशिष्ट–I संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। जिला योजना में प्राविधानित धनराशि के त्वरित व आवश्यकता अनुरूप व्यय हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जा रहे है :–

1. पुराने चालू कार्यो की अधिकता के दृष्टिगत 60 प्रतिशत पुराने चालू कार्यो तथा 40 धनराशि नये कार्यो हेतु सुरक्षित रखा जाय।
2. विगत वर्षो में जनपदों द्वारा जो जिला योजनायें प्रस्तावित की गयी है उसमें जिलों को आंवटित धनराशि के सापेक्ष लगभग 75 प्रतिशत धनराशि अवस्थापना सम्बन्धी मदों में ही प्रस्तावित की जा रही है, इसलिए आगामी जिला योजना 2018–19 में जनपद को कुल आवंटित धनराशि का अधिकतम 60 प्रतिशत अवस्थापना मदों सड़क, सिंचाई, विद्युत आदि में प्रस्तावित किया जाय।
3. **Gap Analysis :** वर्तमान में जनपदों में केन्द्र पोषित केन्द्रीय, राज्य पोषित तथा वाह्य सहायतित योजनायें संचालित हो रही है। उक्त के अतिरिक्त

अन्य Funding mechanism जैसे 14 वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, सांसद निधि, विधायक निधि आदि से भी परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही है, इसके बावजूद भी कुछ ग्राम/क्षेत्र विकासीय कार्यो से वंचित रह जा रही है। इस हेतु आवश्यक है कि जनपद पर Gap Analysis की जाये तथा जिला योजना में उन क्षेत्र/ग्रामों पर विशेष ध्यान दिया जाय। जैसे Livelihood हेतु जनपद में NRLM, IWMP, ग्राम्या, ILSP आदि परियोजनायें चल रही है, जो ग्राम NRLM में चयनित है, वह ग्राम्या या ILSP में नहीं रखा गया है, परन्तु बहुत सारे ऐसे भी ग्राम है जहाँ उपरोक्त में से कोई भी योजना नहीं चल रही है। अतः जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को स्वयं इसी प्रकार से Gap Analysis कर जिला योजना का निर्माण करना चाहिए।

उत्तराखण्ड क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा पर्वतीय परिवेश में योजनाओं की गुणवत्ता, महत्ता, योजना के स्थानीय लाभ रोजगार सृजन की सम्भावनायें, उत्पादकता और व्यय तथा अन्य प्रासंगिक बिन्दुओं के सन्दर्भ में चालू योजनाओं का परीक्षण भी इस दृष्टिकोण से अवश्य कर लिया जाय कि उन्हें वित्तीय वर्ष 2018–19 में भी चलाये रखने का अभिमत है अथवा नहीं, योजनाओं के गहन परीक्षण एवं अध्ययन के पश्चात् अनावश्यक अनुपयुक्त ऐसी योजनाओं जिनकी उपादेयता अब उत्तराखण्ड क्षेत्र के लिये नहीं रह गयी है की जीरो बेस बजटिंग के सिद्धान्त के आधार पर समीक्षा करके, उन्हे समाप्त करने तथा विभिन्न योजनाओं को रेशनलाइजन (Rationalization) एकीकृत करके योजनाओं की संख्या यथा सम्भव कम करने अथवा योजनाओं को प्रोजेक्ट रूप देते हुये समयबद्ध से उन्हे पूर्ण कराने हेतु आवश्यकताओं का आंकलन करते हुये तद्नुसार जिला योजनाओं में उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाय।

जिला योजना के लिये निर्धारित वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों से सम्बन्धित विभागवार राइट अप भी पृथक से अवश्य उपलब्ध कराया जाय। पूर्व वर्षो में यह अनुभव किया गया है कि जनपदों द्वारा राइट अप उपलब्ध नहीं कराये जाते है। विभागवार Write up निम्नानुसार तैयार किये जाने का प्रयास किया जाय :

i. सेक्टर/विभाग के उद्देश्य एवं लक्ष्य
ii. सेक्टर/विभाग की दृष्टि (Vision)
iii. रणनीति(Strategy)/अभिनव पहल (New Initiatives)
iv. योजनावार औचित्य सहित संक्षिप्त विवरण

उपरोक्त विवरण के अतिरिक्त निम्न चार नक्शों को भी बनना सुनिश्चित किया जाय।

पहले नक्शे में जिले की मूल भौतिक रेखायें स्पष्ट दिखायी जाये। इसमें कन्टूर (Contour) द्वारा ऊँचाई, वर्षा, नदियाँ, वन क्षेत्र, मिट्टी की प्रधान किश्में, भूमिगत जल की उपलब्धता बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, पानी, के भराव (Water Logging) क्षेत्र, कटान, ग्रस्त (Ravines) क्षेत्र दिखाये जाये।

दूसरे नक्शे में फसल पद्धति (Cropping Pattern) दिया जाय। विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल भी इंगित कर दिया जाय। इसी नक्शे में औद्योगिक केन्द्र, प्रमुख उद्योगों के स्थल, आदि भी दिखाये जाये।

तीसरे नक्शे में संचार प्रणाली, सड़क एवं विद्युत विवरण लाइने के केन्द्र दर्शाया जाय। विद्युत वितरण में 133 के0वी0, 66 के0वी0,33 के0वी0 एवं यथा संभव 11 के0वी0 का अंकन किया जाय। प्रमुख सड़कों को राष्ट्रीय, राजकीय एवं जिला मार्गों के रूप में दिखाया जाय। सिंचाई प्रणाली में नहरों एवं गूलों की लम्बाई/क्षमता भी यथा सम्भव दी जाय।

चौर्थ नक्शे में प्रशासनिक केन्द्रों, तहसील एंव विकास खण्डों को दिखाया जाय। साथ ही निम्न विवरण को भी दर्शाया जाय।

1. 1000 से ऊपर जनसंख्या (2011) के गांव।
2. 500 से ऊपर जनसंख्या (2011) के गांव
3. नगर निगम/नगर पालिकाओं।
4. स्वास्थ्य सुविधायें।
5. शिक्षण संस्थायें।
6. पशु चिकित्सा सुविधायें
7. कृषि सेवा केन्द्र
8. बीज, उर्वरक एवं कीट नाशक वितरण केन्द्र।
9. बैंकिग एवं ऋण सुविधा केन्द्र।
10. पेयजल सुविधा

अतः अनुरोध है कि उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007, एवं संशोधन अध्यादेश, 2015 एवं उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली, 2010 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 की जिला योजना सरंचना का कार्य शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध किया जाना है। जिला योजना संरचना का कार्य बजट प्रक्रिया से पूर्व पूर्ण कर लिया जाय। ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, नगर पंचायतों तथा जिला पंचायतों की प्राथमिकताओं/आवश्यकताओं /अंतर्विकासखण्डीय/अन्तर्विभागीय विषमताओं के दृष्टिगत वर्ष 2018–19 की जिला विकास योजना संरचना का कार्य प्रारम्भ कर लें। जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित जिला योजना दिनांक 06 अप्रैल, 2018 तक सॉफ्ट कापी (Soft Copy) एवं हार्ड कापी (Hard Copy) में राज्य योजना आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

समस्त जिलाधिकारी (नाम से)

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

पत्रांक एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त निजी सचिव, मा0 प्रभारी मंत्रीगण, जिला योजना समितियों को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह अपने विभागाध्यक्षों/जनपद स्तरीय अधिकारियों को जिला योजना की संरचना के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक दिशा–निर्देश भेजने का कष्ट करें।
3. निजी सचिव, मा0 नियोजन मंत्री को मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जिला योजना 2018–19 के लिए SCSP/TSP की निर्धारित अंश की जनपदवार धनराशि की फॉट एवं तद्सम्बन्धी विस्तृत मार्ग–निर्देश समस्त विभागाध्यक्षों/जिलाधिकारियों/ मण्डलायुक्तों को अपने स्तर से शीघ्र भेजने का कष्ट करें।
6. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल।
10. समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

जिला योजना वर्ष 2018–19 की संरचना हेतु सामान्य दिशा–निर्देश

1. वित्तीय संसाधन

जनपद में विनियोजन न केवल जिला योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से होता है अपितु जिला स्तर पर अन्य स्त्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का भी महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए जिला स्तर पर भी विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध संसाधनों का आकलन करके उसके अधिकतम उपयोग अर्थात दोहन का यथासम्भव प्रयास भी किया जाना चाहिये। जनपद में विकास कार्यों हेतु निम्नलिखित संसाधन उपलब्ध होते है:–

(क) राज्य सेक्टर योजनाओं से जनपद को प्राप्त अंश।
(ख) केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित/केन्द्र पोषित योजनाओं से प्राप्त केन्द्रीय अंश।
(ग) वाह्य सहायतित संस्थाओं से प्राप्त अंश।
(घ) जिला स्तर पर उपलब्ध होने वाले संसाधन:–

1. संस्थागत वित्त
2. सहकारी समितियां
3. ग्राम पंचायतें एवं जिला परिषद् तथा अन्य स्वयंसेवी व स्वायतशासी संस्थायें
4. ग्राम्य विकास अभिकरण
5. प्राइवेट सेक्टर तथा अन्य संसाधन

उपरोक्त वित्तीय संसाधनों की योजनावार विभागवार विवरण तैयार कर जिला योजना बनाना अपेक्षित हैं।

2. अप्रयुक्त परिसम्पत्तियों का उपयोग

सभी विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों/क्षमता का शत–प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने वाली योजनाओं को प्रथमतः वरीयता दी जाय। जिससे जनहित में निर्मित परिसम्पत्तियों का लाभ जनसामान्य को सुलभ हो सके।

3. अधूरे कार्यों/चालू योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता

विगत वर्षों में अनुमोदित योजनाओं में पर्याप्त धनराशि व्यय होने के बावजूद भी अधिकांशः निर्माण कार्य अधूरे रह जाते हैं, जिससे योजना का लाभ लक्ष्य वर्ग को नहीं मिल पाता है। साथ ही विभागों द्वारा इतर कार्यों के लिए नई योजनाएं प्रस्तावित की जाती रही है। सभी निर्माण संबंधी विभागों से विशेष अपेक्षा की जाती है कि अधूरे कार्यों को सूचीबद्ध करते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने हेतु वरीयता निर्धारित की जाय, अर्थात पहले उन योजनाओं को पूर्ण किया जाय जिन पर 80 प्रतिशत से अधिक कार्य हो चुका है, तदोपरान्त 50 प्रतिशत इसके पश्चात् 25 प्रतिशत से अधिक कार्य वाली परियोजनाओं को लिया जाय। जिला योजना में जनपद को आवंटित कुल धनराशि का 40 प्रतिशत नये कार्यो में तथा 60 प्रतिशत पुराने कार्यो में प्रस्तावित किया जाय।

4. निर्माण एजेन्सियों एवं स्थल चयन की सुनिश्चितता

भवनों के निर्माण कार्यों के लिये पहले से ही निर्माण एजेन्सी भी निर्धारित की जाय ताकि सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्यों को सम्पादित करने की यथा समय व्यवस्था हो सके। निर्माण एजेन्सी का चयन करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण एजेन्सियों को आवंटित धनराशि के आधार पर बराबर–बराबर कार्य मिल जाये, ताकि प्रतिस्पर्धा से निर्माण कार्यों में गुणात्मक सुधार आ सके।

सामान्यतः जिला योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य से जुड़े विभागों द्वारा कुछ योजनाओं को जिला नियोजन समिति से पारित तो करा लिया जाता है, किन्तु योजनाओं का नाम एवं स्थल निर्धारण बाद में किया जाता है, इससे व्यवहारिक कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं तथा योंजनाओं के चयन में आपसी विवाद भी उभरते हैं। प्रत्येक दशा में प्राथमिकता क्रम के अनुरूप योजना का नाम एवं स्थल निर्धारण अवश्य सुनिश्चित करने के बाद ही जिला योजना में सम्मिलित किया जाय।

5. प्राकृतिक जल स्रोतों का संवर्धन एवं वर्षा जल का उपयोग

राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों के स्राव में निरन्तर हो रहे कमी को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि जल के कुशल प्रबन्धन एवं मितव्ययी उपयोग के साथ–साथ जल स्रोतों के जल समेट क्षेत्रों (Catchment area) में संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी जाय। अतः यह आवश्यक है प्रस्तावित योजनाओं में जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों को भी अनिवार्य रूप से प्रस्तावित किया जाय। विकास कार्यों हेतु जल की निरन्तर बढ़ रही मॉग को देखते हुए वर्षा जल के दोहन एवं उपयोग की नितान्त आवश्यकता है। अतः समस्त विकास कार्यों में वर्षा जल का भण्डारण एवं उपयोग के साथ–साथ छत के माध्यम से वर्षा जल को एकत्रित कर उसको अघरेलू कार्यों हेतु उपयोग किया जाय। इको फोर्स में Plantation मनरेगा/नरेगा से किया जाय तथा जल स्रोतों का नेटवर्क मॉडल तैयार किया जाय।

6. अन्तर्विभागीय समन्वय की आवश्यकता

जल संस्थान, लघु सिंचाई आदि विभागों में मरम्मत की योजनाओं पर धनराशि आवंटित करने से पहले मरम्मत की पुनरावृत्तियों को आवश्यक रूप से संज्ञान में लाया जाय। कार्यक्रमों के प्रस्ताव हेतु जहां आवश्यक हो, यथासम्भव अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर समन्वित रूप से प्रस्ताव बनायें जायें ताकि कार्यों की अधिव्याप्ति (Overlapping) न हो। यथा कृषि, उद्यान, सिंचाई, लघु सिंचाई, पशुपालन/चारा बैंक, दुग्ध एवं मत्स्य विकास, ग्राम्य विकास/ पंचायतीराज आदि विभागों के कार्यक्रमों में Integrated Cluster Approach से अधिक लाभ मिल सकेगा। जनपद में विगत 05 वर्षो में हुये निर्माण कार्यो की सूची बनाई जाय अर्थात् Integrated Information Development System तैयार किया जाय। प्रत्येक विकास खण्ड में एक गांव का Micro Integrated Plan तैयार कर प्रस्ताव दिये जाय।

7. अन्तर्विकासखण्डीय संकेतकों का प्रयोग

नियोजन की अवधारणा के अनुरूप संतुलित क्षेत्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि पिछड़े/असेवित क्षेत्रों को विकास कार्यक्रमों से प्रथमतः आच्छादित किया जाय। अतः अवस्थापना से संबंधित विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे योजना प्रस्ताव तैयार करने में विकासखण्ड स्तरीय संकेतांकों के आधार पर क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का प्रयास अवश्य करें। ताकि संतुलित विकास की अवधारणा साकार हो सके।

8. अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं रोजगार सृजन

रोजगार पूरक योजनायें यथा मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, पशुपालन, डेरी, उद्योग, फलोत्पादन, शहतूत, वृक्षारोपण एवं अन्य स्थान विशेष के लिये उपयोगी रोजगार पूरक योजनाओं को जिला योजना में सम्मिलित करने पर विशेष बल दिया जाय। रोजगार सृजन हेतु खादी ग्रामद्योग/उद्योग आदि को ब्याज राहत अनुदान राशि पर व्यय न किया जाय, बल्कि जनपद में संचालित नवप्रवर्तन एवं उपलब्ध संसाधनों के विदोहन के आधार पर योजनायें बनाई जाय ताकि जनपदवार पलायन की स्थिति से बचा जा सकें। अवस्थापना विकास विषयक विशिष्ट परियोजनाओं का चिन्हीकरण करते हुए Shelf of Projects तैयार करें।

9. पूर्वगामी एवं पश्चगामी अन्तर्सम्बन्धन (Forward & Backward Linkages)

विशेषकर उत्पादन से जुड़े हुए विभागों के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन बढ़ाने से संबंधित समस्त पहलुओं तथा उत्पादित सामग्री के विपणन पर पूर्व में सम्यक विचार कर लिया जाय। उदाहरणार्थ–फलों के उत्पादन बढाने हेतु फल, पौधों, कीटनाशक, उर्वरक, सिंचाई सुविधाओं, वित्त पोषण, रख–रखाव आदि पूर्वगामी पहलुओं पर भली–भांति विचार कर लिया जाय। साथ ही फल उत्पादन के उपरान्त विपणन, शीत भण्डारण, पैंकिग, प्रसंस्करण इत्यादि पश्चगामी पहलुओं/प्रभावों पर पूर्व में ही विश्लेषण कर लिया जाय, जिससे उत्पादित सामग्री का विक्रय/लाभार्जन सुचारू रूप से सम्पादित हो सके।

10. विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं से डबटेलिंग के आधार पर वित्त पोषण

केन्द्र पोषित योजनाओं में विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का आंकलन करने के साथ युगपतीकण एवं केन्द्राभिसरण (Dovetailing and Convergence) किया जाय। इससे राज्य संसाधनों पर व्यय भार कम हो सकेगा। इस सम्बन्ध में अन्तर्विभागीय संसाधनों समन्वय आवश्यक है। योजना प्रस्तावों में इन कार्यक्रमों की गत 05 वर्षो की वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति उपलब्धियों का विस्तृत विवरण दिया जाय। मिशन मोड परियोजनाओं (MMPs) के परिप्रेक्ष्य में कार्य योजना तैयार कर ली जाय। यदि विभाग में किसी अन्य उद्देश्य हेतु मिशन मोड पर कार्यक्रम संचालित करने की आवश्यकता हो तो उसका प्रस्ताव भी तैयार करके प्रस्तुत किया जाय।

11. दीर्घकालीन कार्यों को चरणबद्ध किया जाना

कतिपय योजनायें विभिन्न चरणों में पूरी की जाती है। ऐसी योजनाओं के विभिन्न चरणों को अभिज्ञानित कर लेना चाहिये और इसी के अनुसार धनराशि प्रस्तावित किया जाय। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि ऐसी योजनाओं में प्रथम वर्ष लागत का 40 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध हो जाय और योजना अधिकतम तीन वर्षों में प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाय। ऐसी योजनाओं, जिसके लिये न तो आगणन किया गया है और न ही भूमि आदि की उपलब्धता सुनिश्चित हो पायी है, इसके लिये धनराशि प्रस्तावित न किया जाय।

जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 31 मार्च, 2019 तक वित्तीय प्रगति विवरण

धनराशि करोड़ ₹ में

क्र0 सं0	जनपद का नाम	बजट प्राविधान	स्वीकृति	वास्तविक व्यय	बजट के सापेक्ष स्वीकृति का प्रतिशत	स्वीकृति के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	6	7	8
1	नैनीताल	38.61	38.61	38.61	100.00	100.00
2	ऊधमसिंह नगर	40.81	40.81	31.80	100.00	77.92
3	अल्मोडा	41.12	41.12	40.76	100.00	99.13
4	पिथौरागढ	39.48	39.48	39.29	100.00	99.52
5	बागेश्वर	32.80	32.80	32.80	100.00	99.99
6	चम्पावत	32.10	32.10	31.76	100.00	98.95
7	देहरादून	54.71	54.71	50.02	100.00	91.42
8	पौडी गढवाल	66.00	66.00	62.94	100.00	95.36
9	टिहरी गढवाल	52.37	52.37	49.48	100.00	94.48
10	चमोली	40.85	40.85	38.08	100.00	93.21
11	उत्तरकाशी	42.11	42.11	38.06	100.00	90.39
12	रूद्रप्रयाग	31.99	31.99	31.51	100.00	98.51
13	हरिद्वार	37.05	37.05	37.05	100.00	100.01
	योग	**550.00**	**550.00**	**522.16**	**100.00**	**94.94**

परिशिष्ट–I

जिला योजना 2018–19 हेतु जनपदवार प्रस्तावित धनराशि

(धनराशि रू0 करोड में)

जनपद का नाम	प्रस्तावित धनराशि
नैनीताल	38.61
ऊधमसिंह नगर	40.81
अल्मोडा	41.12
पिथौरागढ	39.48
बागेश्वर	32.80
चम्पावत	32.10
देहरादून	54.71
पौडी गढवाल	66.00
टिहरी गढवाल	52.37
चमोली	40.85
उत्तरकाशी	42.11
रूद्रप्रयाग	31.99
हरिद्वार	37.05
योग	550.00